इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2012—फाल्गुन 5, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुफिया फारूकी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 30 जनवरी 2012 से 27 जुलाई 2012 तक 180 दिन का प्रसूती अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुफिया फारूकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुफिया फारूकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुफिया फारूकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-406-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 28 फरवरी 2012 से 3 मार्च 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. सामन्तरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. सामन्तरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 6 फरवरी 2012 से 3 मार्च 2012 तक सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 फरवरी 2012 एवं 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. की अवकाश की अवधि में श्री उमाशंकर भार्गव, संयुक्त कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाशंकर भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 31 जनवरी 2012 से 4 फरवरी 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. ई-5-561-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 27 फरवरी 2012 से 3 मार्च 2012 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 फरवरी 2012 एवं 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्री प्रदीप खरे, आयएएस. कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कनिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे, कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-471-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुदेश कुमार, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुदेश कुमार की अवकाश अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुदेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुदेश कुमार द्वारा प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुदेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुदेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 1-469-2010-5-एक.— श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985) आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अन्तर्गत संयुक्त महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर), सिविल ऐविएशन के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. ई-5-372-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. पुखराज मारू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 5 से 9 मार्च 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10,11 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. पुखराज मारू की अवकाश की अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. पुखराज मारू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. पुखराज मारू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. पुखराज मारू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पुखराज मारू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-771-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगौन को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 एवं 26 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अवकाश अवधि में श्री आनन्द जैन, अपर कलेक्टर, जिला खरगौन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला खरगौन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगौन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा कलेक्टर, जिला खरगौन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आनन्द जैन, कलेक्टर, जिला खरगौन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-306-2011-5-एक.—श्री एम. के. वार्ष्णेय, भाप्रसे (1991) आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव, 2012 में दिनांक 8 फरवरी 2012 से प्रेक्षक के पद पर रहने के फलस्वरूप उनकी निर्वाचन अवधि में, श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे (1990), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. एफ 3-2-2012-एक-4.—राज्य शासन, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती दिनांक 11 अप्रैल 2012 बुधवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-6/2011-एक-4, दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2012 में घोषित ऐच्छिक अवकाशों में से केवल तीन दिन के अवकाश लेने की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 23 जनवरी 2012 से 17 फरवरी 2012 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-877-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 23 से 30 जनवरी 2012 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के क्रम में दिनांक 31 जनवरी 2012 से 1 फरवरी 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जनवरी 2012 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., अपर आयुक्त, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2012 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल/नर्मदापुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-908-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शशांक मिश्रा, आयएएस., वि.क.अ.-सह-अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 23 से 29 जनवरी 2012 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शशांक मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक"

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. ई.-1-19-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना(3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष पदस्थ किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आई.एस. दाणी (1980), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चकित्सा शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2.	श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा (1980), प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवहन विभाग.	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवहन विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. एफ. 15-2-2011-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 68, 70, 72, 107, 108, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 131, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245 तथा 246 के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियां , उक्त संहिता की धारा 108 के अधीन वन ग्रामों के भू-अभिलेखों को तैयार करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. एफ. 15-2-2011-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 15-2-2011-सात-शा.6, दिनांक 8 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 8th February 2012

No. F. 15-2-2011-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, confer the power of Revenue Officer under Section 68, 70, 72, 107, 108, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 131, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245 and 246 of the said Code an Officer authorized by the State Government for preparing the Land Records of forest villages land under Section 108 of the said Code.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MONOJ SRIVASTAV, Principal Secy.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. एफ 9-2-2006-अट्ठावन.—मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकली ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-74(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निगम के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है:—

1. श्री मदन मोहन उपाध्याय, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योनिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

2. श्री आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

फा. क्र. 17(ई)5-2012-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री सी. एम. गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल की सेवाएं, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में न्यायिक सदस्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. फा. 3(बी) 6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 04) राज्य शासन, श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री रामबाबू अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 16 फरवरी, 1983 है.

फा. क्र. 3(बी) 6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 20) राज्य शासन, श्री कमलेश साहू, पुत्र श्री नेशन साहू को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल है. उसकी जन्मतिथि 28 जुलाई, 1979 है.

फा. क्र. 3(बी) 6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 28) राज्य शासन, श्री मोहम्मद असलम देहलवी पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ देहलवी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 25 दिसम्बर, 1978 है.

फा. क्र. 3(बी) 6-2011-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 33) राज्य शासन, सुश्री स्मृति सिंह पुत्री श्री एम. एस. भगाडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर है. उसकी जन्मतिथि 11 नवम्बर, 1984 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2012

फा. क्र. 1(सी)09-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2012.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पी. सी. दुबे, उप संचालक, अभियोजन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को उज्जैन जिले के लिये विशेष लोक अभियोजन की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2012

फा. क्र. 17(ई) 377-05-इक्कीस-ब(दो)-2012.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल के समक्ष राज्य शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु श्री रोहित प्र. श्रोती, अधिवक्ता, को आदेश जारी होने के दिनांक से दो वर्ष के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त करता है.

(2) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र देकर यह नियुक्ति समाप्ति की जा सकती है.

(3) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं को प्रत्येक पेशी पर रुपये 300/- की दर से शुल्क देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 1500/- होगी. एक ही दिन में एक से अधिक प्रकरणों में उपस्थित होकर प्रभावी कार्यवाही करने पर शुल्क की अधिकतम सीमा रुपये 500/- होगी. यदि प्रकरण में एक ही तिथि पर कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो रुपये 300/- शुल्क देय होगा.

(4) उक्त व्यय मांग संख्या-17 सहकारिता एक, राजस्व अनुभाग-2425, सहकारिता-101-निर्देशन और प्रशासन (5026) अभिभाषकों की फीस का भुगतान 23-अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2012

फा. क्र. 1(बी) 11-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दिलीप कुमार गोयल पुत्र श्री बुधमलजी गोयल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. एफ-1(ए) 73-2008-ब-2-दो.—पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 2758-11, दिनांक 30 सितम्बर 2011 द्वारा श्री अनुराग, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, भिण्ड को दिनांक 10 से 22 अक्टूबर 2011 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया है. राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के तहत सपरिवार "पटना (बिहार)" अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति दी जाती है:—

(1)	श्री अनुराग	-	स्वयं
(2)	श्रीमती पदमप्रिया	-	पत्नि
(3)	कु. सुप्रज्ञा	-	पुत्री
(4)	कु. शिवांगी	-	पुत्री

क्र. एफ. 1(ए) 186-1991-ब-2-दो.—श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, भोपाल को दिनांक 7 मई 2012 से 8 जून 2012 तक, कुल तैंतीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 6 मई 2012 एवं दिनांक 9, 10 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा.आ.अ.अ. ब्यूरो, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. एफ-13-2-12-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा

6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 22 जनवरी 2012 से 21 अप्रेल 2012 तक तीन माह के लिये छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2012

फा. क्र. 17(ई)-43-2009-232-इक्कीस-ब(एक)-12.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब(1), दिनांक 20 मई, 2011 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 10, 40 तथा 41 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	श्री रामगोपाल प्रजापति	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
40.	श्रीमती गीता सोलंकी	झाबुआ	झाबुआ	1. झाबुआ	1. झाबुआ
41.				2. थांदला	2. थांदला."

टिप्पणी:—जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में आने वाले प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E)43-2009-232-XXI-B(1)-12.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Adhiniyam, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-3835-XXI-B (1), dated 20th may, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 10, 40 and 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	Shri Ram Gopal Prajapati	Multai	Betul	Multai	Multai
40.	Smt. Geeta Solanki	Jhabua	Jhabua	1. Jhabua	1. Jhabua
41.				2. Thandla	2. Thandla.."

Note :—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya on Monday & Friday falling in continuity of 15 days in each month.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1994 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(5) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्यों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पदस्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो), पीठासीन अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

क्र.	सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री आर. के. गोस्वामी से. नि. जिला न्यायाधीश.	1-12-1951	30-11-2011	30-11-2013
2.	श्री मुकेश सिंह, से. नि. जिला न्यायाधीश.	8-12-1951	31-12-2011	7-12-2013
3.	श्री हिलाल उद्दीन अहमद से. नि. जिला न्यायाधीश.	20-12-1951	31-12-2011	19-12-2013
4.	श्री जी. के. शर्मा, से. नि. जिला न्यायाधीश.	1-1-1952	31-12-2011	31-12-2013
5.	श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय से.नि. जिला न्यायाधीश.	4-1-1952	31-1-2012	3-1-2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. एफ-3-124-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-124-2010-बत्तीस, दिनांक 5 जुलाई 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोटरा सुल्तानाबाद	40/2,	2.25	आमोद-प्रमोद (नगर वन)	साव./अर्द्ध सार्वजनिक (कन्वेंशन सेंटर)
		276/2	1.65		
		334/275/2	0.10		
		योग . .	4.00		

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. 1219.—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दि. 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चम्बल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

प्र.	पत्र	प्रश्न-पत्र का विषय	समय
(1)		(2)	(3)
		सोमवार दिनांक 9 अप्रैल, 2012	
1		पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	प्रात: 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे

(1)	(2)	(3)
2	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित.).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे
3	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकीरयों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना—पुलिस, सामान्य प्रशासन भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	दूसरा प्रश्नपत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
60	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2012

9	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक
10.	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी	—तदैव—
11	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
13	प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
61	विद्युत् संस्थापनाऐं—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—
15	दूसरा प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे
16	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान— उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
17	तीसरा प्रश्न पत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
18	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
19	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
62	लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2012

20	तीसरा प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
21	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
22	प्रश्नपत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
23	पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
24	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''	—तदैव—
63	स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.	—तदैव—
25	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
27	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
28	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
29	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
30	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
	गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012	
33	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
35	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
36	प्रश्नपत्र—न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
37	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
38	लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
39	लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
40	लेखा (पुस्तकों सहित)—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
41	लेखा (पुस्तकों सहित)—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
66	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
42	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
43	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
44	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
67	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
	शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012	
45	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
47	प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
49	प्रश्नपत्र, द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
50	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
65	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
68	तृतीय प्रश्नपत्र—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे
51	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र लेख भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
52	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
53	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
54	तृतीय प्रश्न पत्र—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
55	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
56	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
57	प्रश्नपत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
69	चतुर्थ प्रश्नपत्र—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

सोमवार, दिनांक 16, अप्रैल, 2012

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 10.00 से 12.00 बजे.

नोट :—

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 19-7-2010 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंको में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख) छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी, 2012

क्र. 174-भू.अ. 5-स.अ.भू.अ 1-2011.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मैं, डॉ. पवन कुमार शर्मा (आई.ए.एस.) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील-उमरेठ के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरेठ की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए, पटवारी हल्का नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 42, 43 कुल 20 हल्के का नया रा. नि. मं. उमरेठ एवं पटवारी हल्का नम्बर 1, 2, 3, 4,5 ,6, 7 ,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 कुल 23 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल मोरडोंगरी खुर्द की सीमाओं का पुर्नगठन करता हूं.

क्र. 175-भू.अ. 5-स.अ.भू.अ 1-2011.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मैं, डॉ. पवन कुमार शर्मा (आई.ए.एस.) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की तहसील-परासिया के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल परासिया की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए, पटवारी हल्का नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 कुल 32 हल्के का नया रा. नि. मं. परासिया एवं पटवारी हल्का नम्बर 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52 कुल 20 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरगोरा की सीमाओं का पुर्नगठन करता हूं.

पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-214—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माहं दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री अहिरवार भागवती** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री अहिरवार भागवती** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री अहिरवार भागवती** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 8 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री अहिरवार भागवती को नोटिस दिनांक 8 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 23 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेखा किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि से पूर्व प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री अहिरवार भागवती** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-215---मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री कुसुम देवी धर्मदास मेहतर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दजखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री कुसुम देवी धर्मदास मेहतर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री कुसुम देवी धर्मदास मेहतर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कुसुम देवी धर्मदास मेहतर को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 25 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेख/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि से पूर्व प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री कुसुम देवी धर्मदास मेहतर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, खरगापुर जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-216—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकगगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री कोरी द्रोपदी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री कोरी द्रोपदी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री कोरी द्रोपदी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कोरी द्रोपदी को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेख/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि से पूर्व प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री कोरी द्रोपदी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, खरगापुर, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-217.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, खरगापुर जिला टीकगगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री गुलाब बाई** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री गुलाब बाई** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री गुलाब बाई** कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री गुलाब बाई को नोटिस दिनांक 9 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री गुलाब बाई** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. 139-88-स्था.-1057.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-6-2011-एक-4, दिनांक 3 नवम्बर, 2011 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 04 के नियम 05 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर बैतूल वर्ष 2012 में बैतूल जिले के लिये निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिनांक (3)	दिन (4)
1	रंग पंचमी	12 मार्च, 2012	सोमवार
2	अनंत चतुर्दशी	29 सितम्बर, 2012	शनिवार
3	दुर्गाष्टमी (महाष्टमी)	22 अक्टूबर, 2012	सोमवार

2. उपरोक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. 15-एसडब्लू-13-2010.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) 115-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी.डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, जिला मुरैना एवं जिला श्योपुर की जिला समिति की अनुशंसा के आधार पर श्योपुर जिला के थाना गसवानी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को जिला मुरैना के थाना पहाड़गढ़ क्षेत्र में ग्रामों को निम्नानुसार परिवर्तन करने के आदेश देता हूं, जो निम्नानुसार है:—

क्रमांक	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना क्षेत्र जिला श्योपुर	परिसीमन के फलस्वरूप प्रस्तावित थाने का नाम जिला मुरैना	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कुसमानी	गसवानी	पहाड़गढ़	प्रशासनिक हित में
2.	गहतोली	गसवानी	पहाड़गढ़	प्रशासनिक हित में
3.	धौधा	गसवानी	पहाड़गढ़	प्रशासनिक हित में
4.	देवरा	गसवानी	पहाड़गढ़	प्रशासनिक हित में
5.	खोरा	गसवानी	पहाड़गढ़	प्रशासनिक हित में

डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. 871-व.लि.-1-2012.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2012 के लिये संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:—

क्रमांक	जिला	पर्व अथवा त्यौहार	दिनांक	दिन	संपूर्ण विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ संपूर्ण जिला	1. शीतला सप्तमी	14-3-2012	बुधवार	संपूर्ण जिला
2		2. नवरात्र प्रारंभ (घट स्थापना)	16-10-2012	मंगलवार	—''—
3		3. पड़वा (दीपावली का दूसरा दिन)	14-11-2012	बुधवार	—''—

टीप:—

(1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशाली नहीं रहेगा.

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षायें नियत हैं, इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. प्र. भू-अर्जन-42-2012-.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	मड़वा	12	2.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र.-क-785-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	रानीताल	18	2.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सागर, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. क-1104-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरी पाठक	19	2.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय की दांयी मुख्य नहर की माईनर नं. 4 आर. देवरी पाठक के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1105-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरी पाठक	1	0.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय की दांयी मुख्य नहर की माईनर नं. 3 एल. रामखेरी के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1106-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	फुलर	6	0.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय की फुलर माईनर नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1106-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	देवरीखास	7	0.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय की फुलर माईनर नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1106-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	चिरचिटा	12	1.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय की चिरचिटा माईनर नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1106-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	मुआरखास	6	0.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत सतधारा जलाशय की चिरचिटा माईनर नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1107-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	रामखेरी	8	2.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय की दांयी मुख्य नहर की माईनर नं. 3 एल. रामखेरी के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-1108-प्र.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (1) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	मुआर बूढ़ी	5	1.79	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय की दांयी मुख्य नहर की माईनर नं. 3 एल. रामखेरी के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र.-01-भू-अर्जन-11-12-अ-82-.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शिवपुरी	पोहरी	बूडदा		3	0.220	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग, ग्वालियर.	अपर ककेटो डेम
				4	0.400		
				5	0.110		
				6	0.240		
				7	0.130		
				8	0.150		
				9	0.580		
				11	0.010		
				13	0.570		
				14	0.030		
				15	0.460		
				17	0.040		
				18	0.180		
				20	0.010		
				22	0.020		
				23	0.060		
				24	0.110		
				25	0.280		
				26	0.180		
				27	0.190		
				28	0.280		
				29	0.210		
				32	0.17		
				33	0.060		
				35	0.200		
				36	0.270		
				37	0.270		
				38	0.180		
				39	0.290		
				40	0.28		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				41	0.280		
				42	0.240		
				43	0.160		
				44	0.250		
				45	0.13		
				46	0.190		
				47	0.120		
				48	0.320		
				49	0.170		
				50	0.160		
				51	0.190		
				52	0.030		
				53	0.310		
				54	0.41		
				55	0.330		
				56	0.410		
				57	0.160		
				58	0.24		
				60	0.130		
				61	0.10		
				62	0.410		
				64	0.100		
				65	0.100		
				66	0.240		
				67	0.100		
				68	0.200		
				69	0.290		
				70	0.290		
				71	0.250		
				73	0.270		
				74	0.200		
				75	0.020		
				76	0.320		
				77	0.290		
				79	0.460		
				80	0.420		
				82	0.310		
				83	0.280		
				84	0.080		
				85	0.080		
				86	0.170		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				87	0.170		
				88	0.350		
				89	0.160		
				91	0.090		
				92	1.040		
				93	0.250		
				94	0.300		
				95	0.200		
				96	0.370		
				97	0.370		
				98	0.20		
				99	0.190		
				100	0.310		
				101	0.200		
				103	0.110		
				108	0.290		
				109	0.250		
				110	0.250		
				111	0.190		
				112/1	0.190		
				112/2	0.200		
				113	0.360		
				114	0.080		
				115	0.010		
				116	0.020		
				117	0.040		
				118	0.270		
				119	0.290		
				121	1.160		
				124	0.180		
				125	0.290		
				126	0.320		
				127	0.430		
				130	0.200		
				139	0.230		
				141/1	0.070		
				143/1	0.290		
				143/2	0.09		
				145	0.520		
				146	0.420		
				148	0.180		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				151	1.130		
				152	1.400		
				153	1.410		
				154	0.840		
				155	0.190		
				156	0.470		
				157/2	1.500		
				158	1.000		
				159	1.000		
				160	1.00		
				161	0.730		
				163	0.160		
				164	0.730		
				179	0.060		
				180	0.090		
				181	0.13		
				182	0.07		
				183	0.120		
				184	0.090		
				185	0.120		
				186	0.200		
				187	0.060		
				188	0.260		
				191	0.070		
				192	0.080		
				193	0.02		
				194	0.020		
				195	0.120		
				196	0.090		
				197	0.130		
				199	0.090		
				200	0.010		
				201	0.080		
				202	0.010		
				204	0.140		
				205	0.120		
				206	0.140		
				207	0.140		
				208	0.10		
				209	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				210	0.060		
				211	0.110		
				212	0.850		
				213	0.16		
				214	0.150		
				215	0.160		
				216	0.200		
				217	0.070		
				218	0.070		
				219	0.17		
				220	0.090		
				221	0.090		
				222	1.940		
				225	0.070		
				226	0.090		
				227	0.260		
				229	0.01		
				230	0.250		
				231	0.190		
				233	0.220		
				234	0.240		
				235	0.170		
				236	0.060		
				237	0.110		
				238	0.130		
				239	0.240		
				240	0.250		
				241	0.300		
				244	1.680		
				245	0.080		
				246	1.270		
				247	0.140		
				248	0.300		
				249	0.430		
				251	0.430		
				252	0.610		
				253	0.540		
				254	1.40		
				255	0.09		
				256	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				257	0.94		
				258/2	0.01		
				261	0.820		
				262	0.190		
				263	0.180		
				264	0.340		
				265	0.060		
				266	0.190		
				267	0.02		
				268	0.01		
				269	0.660		
				270	0.44		
				271	0.140		
				319	0.25		
				320	0.100		
				321	0.160		
				322	0.120		
				326	0.06		
				327	0.130		
				328	0.160		
				329	0.210		
				332	0.86		
				339	0.21		
				342	0.040		
				343	0.880		
				346	0.100		
				347	0.160		
				348	0.210		
				349	0.180		
				350	0.25		
				352	0.440		
				353	0.170		
				357	0.32		
				360	0.030		
				361	0.350		
				362	0.400		
				363	0.100		
				364	0.240		
				365	0.010		
				366	0.530		
				368	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				369	0.250		
				370	0.080		
				371	0.240		
				372	0.25		
				373	0.020		
				374	0.010		
				376	0.020		
				380	0.050		
				381	0.250		
				382/1	0.010		
				382/2	0.070		
				383	0.220		
				386	0.300		
				387	0.05		
				388	0.06		
				389	0.18		
				390	0.24		
				391	0.50		
				392	0.17		
				393	0.050		
				394	0.040		
				396	0.040		
				397	0.150		
				398	0.120		
				399	0.020		
				401	0.020		
				403	0.180		
				404	0.180		
				405	0.090		
				406	0.240		
				407	0.290		
				408	0.040		
				410	0.110		
				411	0.110		
				412	0.250		
				413	0.220		
				414	0.090		
				415	0.30		
				416	0.100		
				417	0.210		
				418	0.190		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				419	0.030		
				420	0.370		
				421	0.330		
				422	0.010		
				423	0.040		
				427	0.180		
				428	0.090		
				430	0.140		
				431	0.410		
				432	0.180		
				433	0.180		
				434	0.29		
				441	0.040		
				449	0.060		
				450	0.060		
				451	0.060		
				452	0.02		
				453	0.020		
				454	0.050		
				455	0.050		
				456	0.050		
				457	0.130		
				465	0.020		
				469	0.46		
				471	0.160		
				474	0.040		
				475	0.01		
				476	0.050		
				477	0.010		
				478	0.010		
				479	0.010		
				482	0.05		
				484	0.040		
				485	0.020		
				486	0.020		
				487	0.020		
				488	0.110		
				489	0.080		
				490	0.040		
				491	0.020		
				493	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				496	0.050		
				497	0.020		
				498	0.040		
				499	0.140		
				500	0.020		
				501	0.150		
				502	0.050		
				503	0.010		
				504	0.150		
				507	0.060		
				509	0.120		
				514	0.190		
				528	0.090		
				529	0.030		
				530	0.050		
				531	0.050		
				532	0.080		
				534	0.050		
				535	0.050		
				536	0.030		
				537	0.010		
				538	0.010		
				539	0.040		
				540	0.010		
				541	0.030		
				542	0.030		
				543	0.020		
				544	0.030		
				545	0.030		
				547	0.050		
				549	0.020		
				555	0.040		
				558	0.030		
				559	0.030		
				560	0.060		
				563	0.060		
				564	0.030		
				565	0.030		
				566	0.060		
				568	0.010		
				569	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				570	0.030		
				571	0.080		
				578	0.020		
				579	0.040		
				581	0.100		
				582	0.010		
				583	0.010		
				584	0.010		
				586/1	0.06		
				586/2	0.030		
				591	0.020		
				592	0.040		
				596	0.010		
				597	0.030		
				599	0.010		
				600	0.090		
				601	0.200		
				602	0.050		
				603	0.02		
				604	0.01		
				608	0.020		
				609	0.030		
				617/1	0.010		
				617/2	0.01		
				618	0.020		
				624	0.010		
				626	0.020		
				627	0.010		
				628	0.010		
				629	0.020		
				630	0.010		
				631	0.030		
				634	0.050		
				635	0.040		
				638	0.020		
				639	0.030		
				641	0.04		
				642	0.02		
				683	0.05		
				684	0.01		
				685	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				686	0.030		
				687	0.060		
				688	0.030		
				689	0.040		
				690	0.060		
				691	0.040		
				692	0.030		
				694	0.030		
				695	0.050		
				699	0.01		
				700	0.05		
				714	0.10		
				722	0.010		
				723	0.020		
				724	0.010		
				725	0.03		
				726	0.020		
				727	0.010		
				728	0.010		
				732	0.01		
				758	0.120		
				759	0.020		
				760	0.020		
				761	0.060		
				762	0.030		
				763	0.030		
				765	0.080		
				771	0.110		
				775	0.060		
				776	0.07		
				777	0.020		
				780	0.020		
				784	0.10		
				786	0.030		
				787	0.060		
				789	0.040		
				796	0.060		
				797	0.160		
				798	0.050		
				799	0.070		
				803	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				804/1	0.050		
				814	0.170		
				815	0.48		
				816	0.110		
				817	0.080		
				818	0.070		
				819	0.100		
				820	0.160		
				821	0.770		
				823	0.080		
				824	0.160		
				826	0.050		
				827	0.310		
				828	0.150		
				829	0.560		
				830	0.010		
				831	0.010		
				832	0.520		
				834	0.03		
				837	0.090		
				839	0.650		
				840	0.250		
				842	0.390		
				843	0.420		
				847	0.250		
				848	0.40		
				849	0.49		
				851	0.190		
				853	0.110		
				854	0.630		
				856	0.150		
				857	0.50		
				858	0.01		
					89.112		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 5-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	गैलवारा	0.785	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी	सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सतीघाट तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम गैलवारा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. 449-भू-अर्जन-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-11-12-**संशोधित**.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना का जी. क्रमांक 19434/10 है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पंथबोराली	3.37	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.)	माही परियोजना की पंथबोराली उप नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	3.37		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 14 फरवरी 2012

प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	काकरकुईया	0.066	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 2-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	पलोहाबड़ा	1.420	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 3-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा

दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	कान्हरगांव	1.937	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 04-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सूखाखैरी	0.088	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 05-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	0.287	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 08-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	खमरिया	0.531	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 09-अ-82 वर्ष 2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 385-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन क्र. 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीकसा	1.211	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्र.क्र. 7-अ 82-11-12-नस्ती क्र. 3-2011-एल.ए..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध

उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चांदेल	4.64	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत अवशेष जलाशय-1 से रिसाव के कारण दलदल में परिवर्तित भूमि पर वृक्षारोपण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. 340-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मकरवट	0.084	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सम्भाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि परं स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 347-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि

उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कंदवारी मजरा मझटोलवा	0.228	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग, देवलोंद.	आऊट फाल ड्रेन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 349-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मुर्तिहाई	0.013	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग, देवलोंद.	आऊट फाल ड्रेन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 351-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बरहाई	0.331	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग, देवलोंद.	आऊट फाल ड्रेन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. 479-भू.-अर्जन-2012-प्र.क्र. 02-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—सैलाना

(ग) ग्राम—घोड़ादेह, सरवन, नेगड़ापाड़ा एवं श्यामपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.77 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—घोड़ादेह	
2	0.06
3/1	0.04
4	0.06
6	0.11
8	0.11
15	0.12
कुल रकबा :	0.50
ग्राम—सरवन	
133	0.08
145	0.30
148	0.02
147	0.07
149	0.03
172	0.14
173/1	0.02
174/3	0.03
173/2	0.02
174/1	0.04
173/3	0.02
174/2	0.04
169	0.08
667	0.04
668	0.23
669	0.20
कुल रकबा :	1.36
ग्राम—नेगड़ापाड़ा	
37	0.10
38	0.10
40	0.03
83	0.02
64	0.24
57	0.05
56	0.03
कुल रकबा :	0.57
ग्राम—श्यामपुरा	
131	0.03
134	0.05
130	0.03
129/2	0.06
129/1	0.06
135/2	0.06
136	0.05
योग :	0.34
चारों ग्रामों का कुल रकबा-**महायोग** :	**2.77**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चावलाखेड़ी तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—गणेशगंज भाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.304 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/3/4	0.336
69/3/6	0.128
70/6	0.080
70/5	0.128
70/2	0.176
57/1क	0.096
57/1ख	0.096
57/5	0.096
57/1/2	0.088
57/4	0.144
58/1	0.216
58/2	0.032
53	0.280
48/2	0.352
51	0.056
कुल योग :	2.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—चरपुवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.296 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
431/2	0.048
431/1	0.088
435	0.016
432	0.064
433	0.104
428	0.152
427	0.200
456/1	0.240
456/2	0.184
422/3	0.264
422/1	0.104
16/2	0.020
16/3	0.100
16/5	0.368
14	0.168
13	0.176
कुल योग :	2.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—जमड़ार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40/ख जुज	0.064
40/क जुज	0.576
40/ख जुज	0.160
40/10	0.272
32	0.044
33	0.120
34	0.010
40/8	0.184
40/4	0.080
योग . .	1.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—मिनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.590 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
37/1	0.060
37/2	0.040
23/2	0.160
21	0.140
19	0.020
143/492	0.070
183	0.100
9/11	0.130
9/1	0.130
184	0.030
185	0.040
192	0.140
193	0.110
196	0.070
214	0.030
215	0.160
217	0.110
218	0.050
योग . .	1.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 8-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—केशरमढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.533 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
6/2क/1 जु.	1.619
6/1	1.600
8/3	1.115
8/3	0.199
योग . .	4.533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध निर्माण, स्पिल चैनल, वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—दरगांय कलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.900 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
586/2/1	0.900
योग . .	0.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध निर्माण, स्पिल चैनल, वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—मोंगना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.792 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
77	0.390
87/2	0.402
योग . .	0.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध निर्माण, स्पिल चैनल, वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 47-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—बाजना

(घ) क्षेत्रफल —2.11 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
573 मिन	0.115	0.01
573 मिन	0.125	
574	0.282	0.07
575	0.167	0.06
576	0.188	0.08
577	0.261	0.05
578	0.125	0.11
579 मिन	0.587	0.05
579 मिन	0.386	
511	0.366	0.10
908	0.387	0.02
909	0.073	0.01
912	0.136	0.10
915	0.251	0.16
916	0.470	0.09
917	0.978	0.06
919	0.323	0.10
920 मिन	0.314	0.01
920 मिन	0.157	
934	0.125	0.02
935	0.669	0.31
946	0.335	0.020
949	0.146	0.07
950	0.146	0.06
951	0.167	0.05
952	0.209	0.03
953	0.693	0.32
957	0.941	0.15
	योग . .	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 13 फरवरी 2012

प्र. क्र. 42-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—टप्पा घाटीगांव

(ग) ग्राम—आरौन

(घ) क्षेत्रफल —6.333 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2125	0.282
2131/1/1	1.641

(1)	(2)
2131/1/2	1.641
2131/2	2.769
योग . .	6.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लावन का पुरा तालाब निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. 214-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—गुजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
107/2	0.360
योग. .	0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गुजारी नम्बर 2, तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. 243-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—अमलाथा-II
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28275 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं.

सर्वे नंबर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लाट नम्बर/ भू-खण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
291, 297	1	6	90
291	1	24	9
291	1	25	23
291	1	26	3
291	1	27	110
291	1	28	50
291	1	29	74
291	1	30	28
291	1	31	37
291	1	33	36
291	1	34	21
291	1	35	46
291	1	36	79
291	1	38	19
291	1	39	57

(1)	(2)	(3)	(4)
291	1	42	25
291	1	43	8
291	1	44	4
291	1	47	37
291	1	48	43
291	1	49	17
456	1	371	59
456	1	376	136
456	1	378	41
456	1	380	80
456	1	381	74
457	1	386	48
291, 297	1	4	59
291	1	7	9
291	1	8	34
291	1	9	34
291	1	10	79
291	1	11	118
291	1	12	24
291	1	13	60
291	1	14	58
291	1	16	28
291, 297	1	20	28
291, 297	1	21	36
291	1	22	41
297	1	2	30
325	1	47	71
325	1	28	84
325	1	30	58
325	1	31	41
325	1	32	48
325	1	33	65
325	1	34	12
325	1	37	103
325	1	38	312
325	1	39	375
325	1	40	44
325	1	41	42
325	1	43	53
325	1	45	40
325, 327	1	46	65
325, 327	1	50	71
325	1	51	154
325, 327	1	52	130
327	1	2	770
327	1	3	131
327	1	4	11
327	1	6	126
327	1	7	75
327	1	8	61
327	1	9	21
327	1	10	15
327	1	11	27
327	1	12	16
327	1	13	16
327	1	17	73
327	1	18	127
327	1	19	66
327	1	20	64
327	1	21	105
327	1	22	96
327	1	23	43
327	1	24	121
327	1	26	112
327	1	48	75
327	1	49	54
327	1	53	124
327	1	54	127
327	1	56	83
327	1	57	64
327	1	58	161
327	1	59	635
327	1	61	107
327, 352	1	62	166
327	1	81	137
327, 352	1	82	103
327, 352	1	83	62
352	1	86	32
327, 352	1	87	70
327, 352	1	89	198
327, 352	1	90	101
327, 352	1	91	111

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
327, 352	1	92	42	352	1	71	64
327, 352	1	93	74	352	1	72	69
350	1	179	59	352	1	74	103
350	1	180	59	352	1	75	84
350	1	181	75	352	1	76	73
350	1	182	81	352	1	77	221
350	1	183	70	352	1	78	201
350	1	184	28	352	1	79	214
350	1	185	138	352	1	80	107
350	1	186	80	352	1	84	49
350	1	187	18	352	1	94	137
350	1	188	144	352	1	95	128
350	1	189	138	352	1	97	84
350	1	190	73	352	1	98	103
350	1	191	77	352	1	100	42
350	1	192	89	352	1	101	41
350	1	193	79	352	1	102	44
350	1	194	83	352	1	103	155
350	1	195	102	352	1	105	86
350	1	196	38	352	1	107	160
350	1	197	96	352	1	108	21
350	1	198	70	352	1	109	47
350	1	199	94	352	1	110	60
350	1	200	87	352	1	111	46
350	1	201	98	352	1	112	195
350	1	202	81	352	1	113	133
350	1	203	58	352	1	114	130
350	1	204	55	352	1	115	126
350	1	205	108	352	1	116	103
350	1	206	115	352	1	117	80
350	1	208	82	352	1	118	127
350	1	209	73	352	1	119	147
350	1	210	87	354	1	120	55
352	1	63	26	354	1	121	85
352	1	64	24	354	1	122	72
352	1	65	64	354	1	123	147
352	1	66	126	354	1	124	87
352	1	67	160	354	1	125	96
352	1	68	42	354	1	127	86
352	1	69	69	354	1	128	77
352	1	70	30	354	1	129	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
354	1	130	128	356	1	260	63
354	1	131	92	356	1	261	37
354	1	132	41	356	1	263	83
354	1	133	13	356	1	266	67
354	1	134 **Pe**	55	356	1	267	235
354	1	135 **Pe**	336	356	1	268	22
354	1	136 **Pe**	235	356	1	269	219
354	1	137	84	356	1	270	437
354	1	138	84	356	1	271	161
354	1	141 **Pe**	37	356	1	273	50
354	1	142 **Pe**	100	356	1	274	162
354	1	143 **Pe**	80	356	1	276	21
354	1	144 **Pe**	72	358	1	323	99
354	1	145 **Pe**	59	358	1	286	80
354	1	151	17	358	1	287	90
354	1	152	50	358	1	288	85
354	1	154	71	358	1	289	116
354	1	155	143	358	1	291	35
354	1	156	61	358	1	302	46
354	1	157	64	358	1	303	72
354	1	158	66	358	1	304	98
354	1	159	44	358	1	305	53
354	1	160	43	358	1	306	58
354	1	162 **Pe**	8	358	1	307	67
354	1	163 **Pe**	100	358	1	308	66
354	1	164	114	358	1	310	52
354	1	166 **Pe**	16	358	1	311	50
354	1	168	330	358	1	313	111
354	1	169 **Pe**	108	358	1	315	90
354	1	170 **Pe**	52	358	1	316	77
354	1	171 **Pe**	16	358	1	317	104
356	1	247	37	358	1	318	41
356	1	248	26	358	1	319	120
356	1	249	39	358	1	320	100
356	1	250	51	358	1	321	81
356	1	251	34	358	1	322	162
356	1	252	49	358	1	324	175
356	1	255	26	358	1	325	170
356	1	257	34	358	1	326	141
356	1	258	26	358, 457	1	389	98
356	1	259	67	358, 457	1	390	90

(1)	(2)	(3)	(4)
358, 457	1	391	61
358, 457	1	392	133
359	1	211	195
359	1	212	255
359	1	213	552
359	1	214/396	41
359	1	214	41
359	1	215	53
359	1	216	61
359	1	217	72
359	1	218	60
359	1	219	98
359	1	220	106
359	1	221	46
359	1	222	39
359	1	223	44
359	1	224	166
359	1	225	48
359	1	226	47
359	1	227	23
359	1	228	23
359	1	229	35
359	1	230	32
359	1	232	39
359	1	233	45
359	1	235	27
359	1	236	32
359	1	237	392
359	1	239	46
359	1	240	35
359	1	241	70
359	1	242	70
359	1	243	159
359	1	244	323
359	1	245	31
359	1	246	57
359, 406	1	293	475
406	1	234	16
406	1	294	18
406	1	295	23
406	1	297	66
406	1	298	41
406	1	299	14
456	1	372, 375	99
456	1	374	277
456	1	379	66
456, 457	1	382	492
456, 358	1	388	133
457	1	384	121
457	1	385	67
		योग	28275

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं. (1)	संपत्ति का विवरण (2)
173	नाग मंदिर सार्वजनिक
292	मकान-7
425	मकान-1
176/1	मकान-1
182/1	मकान-2
286	मकान-3
294	मकान-2
295	मकान-6
299	मकान-3, पशुबाड़ा-2
300	मकान-2
304	मकान-2
308	पशुबाड़ा-1
309	मकान-3, पशुबाड़ा-1
316	पानी की टंकी
319/3	मकान-3, पशुबाड़ा-1
320	हौज-1
324	मकान-1
332	मकान-2, लेट्रिन-2, गोबरगैस-2, पशुबाड़ा-5, हौज-1, बाथरूम-1
333, 334	मकान-5, पशुबाड़ा-1
335	पशुबाड़ा-2
340/2	मकान-1
341	पशुबाड़ा-2, हौज-2
345/1	पशुबाड़ा-1
345/2	पशुबाड़ा-1
360	गोबर गैस-3, कुंआ पक्का-1

(1)	(2)
362	पशुबाड़ा-1
363	मकान-5
369	पशुबाड़ा-1, हौज-1, घुवाण-1
370/1	गोबरगैस-1
370/2	हौज-1, घुवाण-1
372	पशुबाड़ा-1
375, 376	पशुबाड़ा-1
380	पशुबाड़ा-1, हौज-1
385	पशुबाड़ा-1, हौज-1
398	पशुबाड़ा-1, पानी की टंकी-1
400	पानी की टंकी, लेट्रिन-1, गोबरगैस-1
402	नाग डेरी-1
403	पशुबाड़ा-1, पानी का हौज-1, लेट-1, बाथरूम-1; घुवाण-1
404	पशुबाड़ा-1
409	मकान-1
413	मकान-4
420/2	पशुबाड़ा-1, लेट्रिन-1
426	मकान-1, लेट्रिन-1, बाथरूम-1
430	मकान-1, पशुबाड़ा-1
434	मकान-5
446	पशुबाड़ा-2
447	पशुबाड़ा-1
450/1	मकान-2, पशुबाड़ा-1
451/2	मकान-1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं. (1)	मद (2)	संपत्ति का विवरण (3)
268/1	नि. चरागाह	सार्वजनिक पशु पानी पीने का हौज-1
284	ना.का. चरनोई	मकान-1
348	रास्ता	मकान-2
461	नि.चरागाह	कुंआ पक्का-1, सार्वजनिक, दरगाह-1, माता की झीरी-1, मोटरघर-1, कब्रस्तान-1 (मुस्लिम सह समाज ईदगाह) मकान-1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 244-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—नगावां-II

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20528 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं.

सर्वे नंबर (1)	मोहल्ला शीट क्रमांक (2)	प्लाट नम्बर/ भू-खण्ड क्रमांक (3)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
45	1	11	60
45	1	16	47
45	1	17	18
45	1	19	54
100	1	34	43
100	1	35	38
100	1	36	66
100	1	52	245
100	1	55	66
100	1	56	85

(1)	(2)	(3)	(4)
100	1	57	57
100	1	58	70
100	1	59	132
100	1	61	187
100	1	63	70
100	1	66	61
100	1	64	64
100	1	65	63
100	1	67	66
100	1	68	52
100	1	78	84
100	1	79	55
100	1	80	52
100	1	80/366	41
100	1	92	188
100	1	99	162
100	1	100	170
100	1	102	127
100	1	103	1005
100	1	104	81
100	1	105	94
100	1	120	75
100	1	121	86
100	1	122	190
100	1	123	174
100	1	124	109
100	1	125	67
100	1	126	176
100	1	136	87
100	1	137	94
100	1	138	186
100	1	139	160
100	1	140	430
100	1	142	62
100	1	143	211
100	1	144	103
100	1	145	150
100	1	146	46
100	1	147	37
100	1	148	150
100	1	149	120
100	1	150	340
100	1	151	75
100	1	152	154
100	1	154	212
100	1	155	67
100	1	156	15
100	1	158	95
100	1	159	266
100	1	160	225
100	1	161	13
100	1	162	67
100	1	163	78
100	1	164	71
100	1	165	85
100	1	167	160
100	1	169	47
100	1	170	47
100	1	171	76
100	1	172	105
100	1	182	134
100	1	184	141
100	1	185	127
100	1	186	68
100	1	189 Peki	71
100	1	191	31
100	1	192	30
100	1	193	30
100	1	194	31
100	1	195	67
100	1	196	19
100	1	198	115
100	1	199	48
100	1	200	132
100	1	202	42
100	1	203	196
100	1	204	45
100	1	205	196
100	1	207	229
100	1	208	310
100	1	208/369	155
100	1	210	577

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
100	1	211	64	100	1	261	53
100	1	211/368	59	100	1	262	55
100	1	212	209	100	1	263	96
100	1	213	119	100	1	264	73
100	1	214	145	100	1	265	398
100	1	215	135	100	1	266	312
100	1	216	168	100	1	219/370	210
100	1	217	159	100	1	324	118
100	1	219/374	66	109	1	268	14
100	1	219/373	98	109	1	269	85
100	1	219/371	160	109	1	270	31
100	1	219/372	352	109	1	271	12
100	1	221	71	109	1	272	60
100	1	222	107	92	1	323	27
100	1	223	224	92	1	325	130
100	1	224	139	92	1	326	40
100	1	225	121	92	1	327	56
100	1	226	87	92	1	328	74
100	1	227	80	92	1	329	109
100	1	228	52	92	1	330	58
100	1	230	75	92	1	331	69
100	1	239	110	92	1	334	33
100	1	241	88	92	1	335	22
100	1	242	50	48/2, 92	1	336	40
100	1	243	54	92	1	337	58
100	1	244	49	92	1	338	48
100	1	245	43	92	1	339	46
100	1	246	273	92	1	340	89
100	1	247	30	92	1	343	30
100	1	248	126	92	1	344	60
100	1	249	336	92	1	345	90
100	1	251	300	92	1	347	85
100	1	251/376	368	92	1	348	53
100	1	252	344	92	1	349	50
100	1	254	168	92	1	350	44
100	1	255	162	92	1	351	190
100	1	256	277	92	1	353	75
100	1	257	66	92	1	356	60
100	1	258	68	92	1	358	72
100	1	259	132	92	1	360	40
100	1	260	51	92	1	361	73

(1)	(2)	(3)	(4)
92	1	362	61
92	1	363	36
		योग . .	20528

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)
7/2	मकान-1
15	मकान-1
37	टीनशेड-1
108/1	मकान-1, गोडाउन-1, गोबर गैस-1
111, 112	मकान-3
10	मकान-20, पशुबाड़ा-2, टीनशेड-1
14	मकान-1
99	टीनशेड-1
101	गोबर गैस-1, पानी हौज-1
102	मकान-1, गोबर गैस-1, पानी हौज-1
107/2	पशुबाड़ा-1, गोबर गैस-1
107/4	पशुबाड़ा-1, गोबर गैस-2

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	मद	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
3	नि. चरनोई	मकान-1, पंपहाउस-4, पाईपलाईन-19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भगवानपुरा

(ग) ग्राम—धूलकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.669 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21/2/1	0.312
21/2/2	0.405
21/6	0.061
45/1/1	0.025
46/3/1	0.271
46/4	0.546
46/6	0.316
46/7	0.048
46/9	0.299
46/10	0.020
47/2	0.142
48/1	0.336
48/4	0.044
48/5	0.202
48/6	0.473
52/5	0.202
52/6	0.072
53/1/1	0.170
57/1	0.130
57/2	0.120
57/3	0.130
57/4	0.072
57/5	0.041
58	0.437
60/5	0.016
78/1	0.044
79	0.485

(1)	(2)
80/3	0.025
80/4	0.128
83/1	0.041
50/4/1	0.119
50/4/2	0.528
51/1	0.469
51/2	0.461
51/3	0.534
51/4/1	0.214
51/4/2	0.101
51/4/3	0.101
52/1/2	0.253
52/1/3	0.407
52/2	0.403
52/3	0.166
52/4	0.221
83/2	0.080
83/3	0.081
84/1	0.279
95/3	0.020
85/2	0.024
86/1	0.287
86/2	0.202
86/3	0.065
87/1/3	0.041
87/2	0.517
89/1	0.020
89/2	0.324
89/3	0.139
योग . .	11.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 247-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरावद

(ग) ग्राम—डोमवाडा बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.974 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
145/1/1	0.470
145/2	0.690
147/1	0.324
158/1	0.615
159/1	0.125
161	0.186
164/1	0.275
228/1/1	0.289
योग . .	2.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोमवाडा तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 263-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—झिरन्या

(ग) ग्राम---कुसुम्बिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल---49.635 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
41	1.640
64	0.364
66	1.271
68	0.307
69	1.817
70/1	0.607
70/2	0.506
71/1	1.619
71/2	0.619
74/2	1.214
74/3	1.506
75	5.265
77/1	1.445
77/2	1.153
78	1.558
124	2.338
127/1	1.056
127/2	0.518
127/3	0.708
127/4	0.785
127/5	0.648
127/6	0.607
127/9	0.500
128/1	0.525
128/2	1.169
128/3	0.907
128/4	0.907
130/1	1.214
130/2	1.210
131	0.166
81/1	3.594
81/2	1.817
109/5	1.012
109/7	0.405
109/9	0.708
109/10	0.809
109/11	0.911
109/12	0.607
123	0.832
132	0.850
133/3	0.265
133/4	0.289
173/1	0.186
173/2	0.607
174/4	0.400
174/5	1.376
174/6	0.260
184/4	0.450
184/5	0.108
योग . .	49.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करेली नाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. 445-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. अ-82-2011—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत:

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—सुल्तानपुर
(घ) लगभगभ क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
193	0.07
199/1	0.04
199/2	0.08
200	0.10
229	0.05
230	0.04
317	0.22
318	0.03
319	0.22
341	0.30
342	0.11
345	0.06
361	0.10
362	0.20
363	0.08
योग . .	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की महुडीपाड़ा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम सुल्तानपुरा की निजी भूमि की कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 447-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. अ-82-2011—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बडलीपाड़ा
(घ) लगभगभ क्षेत्रफल—1.61 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
236	0.09
237	0.08
238	0.08
239	0.16
251	0.13
261	0.12
262	0.08
263	0.12
265	0.17
270	0.10
281	0.32
282	0.12
355	0.04
योग . .	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सुल्तानपुरा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बडलीपाड़ा की निजी भूमि की कुल रकबा 1.61 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-167-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
(ग) ग्राम—सेजावाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.50 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
35	पैकी 0.03
39	0.10
73	0.06
98	पैकी 0.11
42	0.05
38	पैकी 0.02
50	0.03
37	पैकी 0.02
40	0.03
48	0.04
76	0.16
41	0.06
72	0.06
75	0.16
46	0.04
49	0.04
77	0.16
79	0.48
80	0.26
149	1.58
300	0.25
101	पैकी 0.17
296	0.10
297	पैकी 0.06
298	0.10
306	पैकी 0.14
778	0.15
780	0.04
	योग . . 4.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेजावाडा तालाब क्रमांक-03 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-169-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
(ग) ग्राम—किलाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.10 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
212	पैकी 0.25
577	पैकी 0.20
217	पैकी 0.10
218	पैकी 0.36
220	0.64
213	0.17
515	पैकी 0.07

(1)	(2)
574	पैकी 0.12
575	पैकी 0.15
224	पैकी 0.06
472	0.10
459	0.71
487	0.18
474	0.51
511	पैकी 0.15
461	0.39
463	0.35
465	0.26
502	पैकी 0.03
503	पैकी 0.02
462	0.42
464	0.21
473	0.37
514	पैकी 0.10
513	पैकी 0.34
512	पैकी 0.18
476	0.54
478	0.55
479	0.44
480	0.31
481	0.34
482	0.16
483	0.87
486	0.33
484	0.63
490	0.63
500	0.64
488	0.05
489	0.12
499	0.25
501	पैकी 0.07
493	पैकी 0.17
545	पैकी 0.15
546	पैकी 0.16
547	पैकी 0.03
582	पैकी 0.02
586	पैकी 0.12
585	पैकी 0.08
	योग . . 13.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-173-प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—जवास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.46 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.23
7	पैकी 1.05
3	0.40
4	1.39
5	0.03
28	0.49
31	0.75
32	पैकी 0.81
35	0.40
45	0.35
83	पैकी 0.64
6	0.81
8	1.49
85	0.61
96	पैकी 2.04
98	पैकी 0.04
10	0.78

(1)	(2)
13	1.19
25	पैकी 0.36
26	1.02
33	पैकी 0.56
43	0.25
47	पैकी 0.25
19	पैकी 0.10
22	0.04
29/1	0.23
29/2	0.23
30	0.26
36	0.02
40	0.07
44	0.13
48	पैकी 0.57
77	पैकी 0.05
78	पैकी 0.06
39	पैकी 0.58
41	0.18
49	पैकी 0.32
51	0.14
53	पैकी 0.07
86	0.57
87	0.36
92	पैकी 0.11
88	पैकी 0.22
99	पैकी 0.10
54	पैकी 0.11
	योग . . 20.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-175-प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—उबगारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.42 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113	पैकी 0.02
146	पैकी 0.18
115	पैकी 0.60
142	0.68
141	0.09
145/2	पैकी 0.08
190	0.20
193	1.07
194	0.44
196	0.40
197	0.61
209	1.33
195	0.42
208	0.59
199	पैकी 0.10
200	0.15
201	0.19
202	0.10
518	0.06
203	0.39
204	0.52
205	0.64
206	1.11
211	0.12
212	पैकी 0.70
221	पैकी 0.05
213/1	0.67
494	पैकी 0.25
495	पैकी 0.20
496	पैकी 0.25
497	पैकी 0.20
498	पैकी 0.05

(1)	(2)
524	पैकी 0.15
499	0.30
509	0.61
510	0.33
511	0.80
517	पैकी 0.60
512	0.40
513	0.42
514	0.62
554	पैकी 0.09
555	पैकी 0.07
556	पैकी 0.05
558	पैकी 0.10
505	0.42
	योग . . 17.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-171-प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—बडीजुवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.55 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
624	0.14
625	0.08
636	पैकी 0.15
637	0.20
646	0.25
635	पैकी 0.15
642	0.08
641	पैकी 0.10
644	पैकी 0.50
645	पैकी 0.30
648	पैकी 0.25
652	पैकी 0.35
	योग . . 2.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-177-प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
(ग) ग्राम—झीरण
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.50 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
232	पैकी 0.04
235	पैकी 0.05
239	1.07
507	पैकी 0.52

(1)	(2)
254	पैकी 0.13
256	पैकी 0.10
262	पैकी 0.07
509	0.15
510	0.17
511	0.20
	योग . . 2.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

नस्ती क्र. 112-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 66-अ-82-10-11-**शुद्धि-पत्र**.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम मोहद, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र. 66-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 18 नवम्बर 2011 को, नई दुनिया समाचार-पत्र में दिनांक 17 नवम्बर 2011 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 30 नवम्बर 2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हे.में)	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 18-11-2011	94	0.02	94	0.01
			98	0.01
	101/1	0.07	101/1	0.06
			100	0.01
	272	0.07	272	0.02
			276	0.05
नई दुनिया समाचार-पत्र में दिनांक 17-11-2011	94	0.02	94	0.01
			98	0.01
	101/1	0.07	101/1	0.06
			100	0.01
	272	0.07	272	0.02
			276	0.05
राज एक्सप्रेस में दिनांक 18-11-2011	94	0.02	94	0.01
			98	0.01
	101/1	0.07	101/1	0.06
			100	0.01
	272	0.07	272	0.02
			276	0.05

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
आम इश्तिहार में	94	0.02	94	0.01
दिनांक 30-11-2011			98	0.01
	101/1	0.07	101/1	0.06
			100	0.01
	272	0.07	272	0.02
			276	0.05

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 6.91 हे. यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 308-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—पवइया कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.098 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित भूमि (हे. में) (2)
317	0.098
योग . .	0.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माइनर एवं सब-माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. 342-प्रशासक-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—बरौं
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
2383	0.096
योग . .	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरौं सब-माइनर नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 फरवरी 2012

प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुश नगर
(ग) ग्राम—रानीपुरा, प. हल्का नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—8.163 हेक्टर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
549	0.030
550	0.172
551	0.288
552/1	0.244
552/2	0.030
553	0.057
739/1/1	0.179
739/1/2	0.126
739/2	0.390
747	0.070
748	0.186
752/1	0.273
752/2/1	0.030
753	0.206
754/1	0.020
758/1	0.018
758/2/1	0.014
758/2/2	0.018
758/3	0.022
758/4	0.018
759	0.032
761/1	0.104
763	0.072
764	0.010
765/1	0.364
765/2	0.032
768/1	0.115
768/2	0.010
769	0.064
770	0.156
771	0.060
774	0.050
779	0.110
783/1	0.010
784	0.084
794	0.120
795	0.400
799	0.020
800	0.211
808	0.096
809	0.049
810	0.112
811/1	0.045
811/2	0.045
813	0.053
814	0.056
817	0.057
818	0.150
830/1	0.015
832/1	0.190
838	0.104
839	0.112
840	0.112
841	0.130
843	0.224
844	0.067
845	0.235
919	0.010
920	0.158

(1)	(2)
921	0.028
923	0.010
927	0.220
929/1	0.096
930	0.154
931	0.040
940	0.144
941	0.115
942	0.010
944	0.105
945	0.010
946/1	0.020
946/2	0.071
947	0.057
948	0.045
949	0.145
950	0.032
952	0.048
967	0.084
968	0.025
969	0.030
970	0.009
983	0.010
92	0.220
योग . .	8.163

(2) सिंहपुर बैराज परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुश नगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुश नगर

(ग) ग्राम—टूड़ा (लक्ष्मनपुरा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—0.648 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
572/1, 572/3	0.240
617	0.154
616/3	0.048
616/1, 616/2	0.206
योग . .	0.648

(2) सिंहपुर बैराज परियोजना अंतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुश नगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 40-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—रेखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—4.924 हेक्टर में.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
447/2	0.024
435	0.250
433	0.244
56	0.164
384	0.230
314	0.413
432	0.068
440	0.260
61	0.226
59/1	0.054

(1)	(2)
427/1	0.010
445	0.250
436	0.125
452	0.288
454	0.182
421	0.197
58	0.017
457	0.256
446	0.020
426	0.026
425	0.163
431	0.012
447/1	0.095
117	0.163
60	0.068
424	0.182
388	0.173
389	0.154
383	0.125
317	0.125
51	0.017
119/1	0.231
78	0.112
योग :	4.924

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 41-अ-82-2010-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—पीरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—0.669 हेक्टर में.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1812/1, 1812/2	0.144
1783	0.024
1782/2	0.092
2406	0.020
1811	0.087
1810	0.041
1818	0.020
1817	0.141
1816	0.052
1814/1	0.028
1815	0.020
योग :	0.669

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ-1084-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—अमिलिया खुर्द

(घ) क्षेत्रफल —7.583 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/1/2	0.042
13/1/2	0.011
14/1/2	1.029
15/2	0.068
19/3 क 2, 20/3 क 2	0.209
52/2 ग	0.161
53/2 ग	0.018
65/1 ग	0.088
66/1 ग	0.004
52/2 घ	0.322
53/2 घ	0.036
65/1 घ	0.175
66/1 घ	0.009
8/2	0.649
9/2	0.160
56	0.031
72	0.805
73	0.460
74/2	0.794
91	1.017
22	1.359
23	0.042
64	0.094
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	7.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है:—मे. के. जे. एस. सीमेंट प्लांट, मैहर की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-1084-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—लखवार

(घ) क्षेत्रफल —11.949 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
76/1 क	0.042
77/1 क	0.951
76/1 ख	0.042
77/1 ख	0.951
76/2	0.052
77/2	1.793
109/2 ख	0.256
111/1/2	0.557
111/1/3	0.558
68/1	0.105
68/2	0.105
69	0.063
70	0.052
71	0.209
72	0.031
73/3	0.417
10/1	0.951
11/1	0.053
12	0.711
13	0.136
14	0.648
15/1	0.063
16/1 क	0.523
15/2	0.063
16/1 ख	0.522
91/1	0.182
94/1	0.021
92	0.439
93	0.021
95/1	0.465
95/2	0.465
108/2	0.502
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	11.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है:—मे. के. जे. एस. सीमेंट प्लांट, मैहर की स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. 195-प्र. क्र. 08-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कलालदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.565 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
177/1	0.930
177/2/1	0.200
177/2/2	0.210
177/2/3	0.040
176/2	0.020
199/1	0.550
199/4	0.230
200/1	0.490
199/3	0.025
200/2	0.390
200/3	0.250
204	0.030
191/3	0.250
196	0.110
197	0.110
205	0.514
206	0.210
207/1	0.096
192/2	0.700
192/1	0.180
192/3	0.610
211/1	0.250
211/2	0.170
योग :	6.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 201-प्र. क्र. 09-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—गोलपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.881 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
140/4	0.032
150/1/1	0.157
149/1	0.110
150/1	0.020
150/2	0.093
150/3	0.187
150/4	0.187
151/1/2	0.040
165/1	0.480
165/2	0.110
166	0.670
167/1	0.290
171	0.515
182/3	0.390
182/6	0.210
183/2/1	0.395
183/2/2	0.200
183/4	0.175
240/5/1/1	0.150
240/6/1/1	0.440
240/6/1/3	0.245

(1)	(2)
240/6/1/2	0.400
240/6/1/4/1	0.385
योग :	5.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजनां, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 207-प्र. क्र. 11-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सोण्डूल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.222 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
25/1	0.210
27/1	0.620
27/2	0.030
27/3	0.020
42	0.070
29	0.005
30	0.640
37/5	0.050
31/6	0.050
37/4	0.020
38	0.810
39	1.000
44/1	0.210
44/2	0.050
90/1/1	0.045
90/1/2	0.210
90/2/3	0.250
90/2/4	0.180
90/2/5	0.100
99/2	0.200
99/3	0.350
96	0.370
125	0.300
97/1, 97/2	0.375
123/2	0.140
124	0.180
127	0.150
129	0.100
129/333/1/1	0.405
129/333/1/2	0.080
129/333/1/3	0.010
179/3	0.315
145/1/1	0.190
145/1/2	0.040
145/2	0.150
145/3	0.125
145/4	0.125
145/5	0.150
145/6	0.150
147	0.500
149	0.030
151	0.205
156/1/1	0.450
156/1/2	0.020
156/1/3	0.070
279	0.410
169	0.050
170	0.025
277/1	0.250
171/1/1	0.260
171/1/2/2	0.035
171/1/2/4	0.240
171/1/2/3	0.240
171/1/3/1	0.370
172/2	0.025
173	0.120
176	0.020
175/2/1क	0.200
175/2/1ख	0.170
180	0.370
182/1	0.180
181/1	0.110

(1)	(2)
181/5	0.020
181/3	0.150
181/2	0.010
181/4	0.223
184/1	0.070
184/2	0.040
281/2/3	0.130
281/3/2	0.310
278/2	0.100
281/1/4	0.090
281/2/1	0.154
281/4	0.100
योग :	14.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 216-प्र. क्र. 12-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—पेटलावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.150 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1/5	0.060
113/1/7	0.090
115/2	0.040
114	0.500
116	0.410
117	0.050
योग :	1.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 225-प्र. क्र. 07-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.335 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
25/4	0.450
100/2	0.620
25/3	0.420
53/2	0.101
56	0.110
57	0.455
60	0.410
61/1/2	0.073
61/1/3	0.045
89/1	0.700
90/2	0.100
86/1	0.360
97/2	0.236
86/2	0.700
97/4	0.220
86/3/2	0.085
86/3/7	0.215
86/3/3	0.070
86/3/5	0.235
86/3/4	0.120

(1)	(2)
86/3/6	0.215
86/3/8	0.050
89/2	0.270
88/3	0.035
90/1	0.650
91/4	0.225
97/3	0.220
97/6	0.410
102/1	0.130
102/3	0.110
102/2	0.110
125/1	0.170
127/2	0.015
योग :	8.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 219-प्र. क्र. 10-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सुलीबर्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.915 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
215/1	0.065
215/2	0.060
217/3	0.720
217/2/1	0.580
217/2/2	0.090
265/1	0.270
221/1/1	0.380
221/2	0.020
214/354/2	0.360
214/354/1	0.390
222/1/1/3	1.200
226/2	0.060
222/1/1/4	0.625
223	1.010
224/1/2	0.263
224/2	0.210
225	0.180
226/3	0.140
267	0.500
320/1	0.225
303/3/1/1/5	0.401
302/2	0.210
302/3	0.140
302/10	0.100
303/1/1/1/2	0.050
302/4	0.240
302/8	0.070
302/5	0.225
302/6	1.130
302/9	0.060
305	0.025
306/1	0.430
306/2	0.121
308	0.437
312	0.480
321/1	0.225
321/2	0.480
322/4	0.035
322/3	0.250
322/5	0.300
326/3	0.138
327 पैकि	0.020
योग :	12.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 164-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012-(भाग-ए).—न्यायिक अधिकारीगण, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है को, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में ''कार्यशाला'' ''Advance Course Training Programme'', जो दिनांक 27 फरवरी 2012 से 3 मार्च 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में, दिनांक 27 फरवरी 2012 को प्रात:काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि संचालक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में, दिनांक 27 फरवरी 2012 को प्रात:काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. वे न्यायिक अधिकारी जिन्हें ''Advance Course Training Programme'' में उपस्थित होना है वे प्रशिक्षण में उपस्थित होते समय उनके द्वारा निम्न प्रकरणों में पारित / तैयार निर्णयों की एक प्रति अपने साथ अवश्य लावें :—

   (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,

   (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,

   (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,

   (4) आपराधिक अपील / रिवीजन का निर्णय.

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं / विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. अत: न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2012

क्र. डी-622-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-624-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 8 से 10 नवम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. डी-626-दो-2-18-ए-2009.—श्री सुरेश कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 30 जनवरी से 2 फरवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-631-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 से 3 जनवरी 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन अवकाश / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. बी-408-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. बी-410-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 6 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-1387-दो-2-60-2009.—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 20 से 24 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1398-दो-3-126-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्र. डी-633-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. डी-635-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2011 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2011 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश / शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-637-दो-2-46-2000.—श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-639-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-641-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 21 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-647-दो-3-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 19 से 21 दिसम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. डी-649-दो-2-37-2010.—श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 7 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1406-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 13 से 19 दिसम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1408-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1412-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2011 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012

के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश / शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-1414-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 से 17 दिसम्बर 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-1416-दो-2-26-2008.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1418-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 28 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1420-दो-2-18-ए-2009.—श्री सुरेश कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-1422-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 07 से 09 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 10 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-1424-दो-2-34-2006.—श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2011 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 07 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

क्र. सी-1395-दो-3-76-98.—श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (ई.) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. डी-581-तीन-6-2-2012.—दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विवेक बुखारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गंजबासोदा	विदिशा
2	श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गंजबासोदा	विदिशा
3	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गंजबासोदा	विदिशा
4	श्री के. पी. सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	ब्योहारी	शहडोल
5	श्री धर्मेश भट्ट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बुढ़ार	शहडोल
6	श्री अभिनव कुमार जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सीधी	सीधी

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री राजेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सीधी	सीधी
8	श्रीमती किरण कोल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मझोली	सीधी
9	श्रीमती सिद्धी मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पन्ना	पन्ना
10	श्री डी.एस. परमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
11	श्री आलोक मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मूंगावली	अशोकनगर
12	श्री अजय पेदाम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	टोंकखुर्द	देवास
13	श्री विशाल अखण्ड, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	देवास	देवास
14	श्री कमलेश कुमार सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	देवास	देवास
15	डा. सुधांशु सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	बागली	देवास
16	श्री नीरज मालवीय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कन्नौद	देवास
17	सुश्री ज्योति डोगरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सोनकच्छ	देवास
18	श्री अभिलाष जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	देवास	देवास
19	कु. नौशीन खान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सिवनी	सिवनी
20	श्री अमित सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	लखनादौन	सिवनी
21	श्री मनोज कुमार तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मंडला	मंडला
22	श्री आशुतोष अग्रवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मंडला	मंडला
23	श्री विकास चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	धरमपुरी	धार
24	श्री शिवलाल केवट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	डिण्डौरी	डिण्डौरी

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.